



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

विज्ञापन संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०(स्वा०कार्य०)/12/2021-22/130

दिनांक 15 मार्च, 2022

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों हेतु विज्ञापन।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा-2022

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	—	15 मार्च, 2022
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	—	24 मार्च, 2022
ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	—	13 अप्रैल, 2022 (सांय 05.00 बजे तक)

01. **रिक्तियों का विवरण**— चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 824 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सामान्य/ अनारक्षित	कुल
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	₹ 21700- ₹ 69100 लेवल-3	133	48	55	55	533	824

(चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) सेवा संवर्ग के रिक्त पदों से सम्बन्धित जनपदवार उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी तालिक हेतु परिशिष्ट 'क' का अवलोकन करें)

02. **पद का स्वरूप**— अराजपत्रित/अंशदायी पेंशन योजना।

03. **वेतनमान**— वेतन बैंड-1, ₹ 5200-20200, ग्रेड पे-2000 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित लेवल-3, पे मैट्रिक्स 21700-69100)

04. **शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हतायें**— स्वास्थ्य कार्यकर्ता(महिला) पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक है—

- I. अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स (जिसमें 06 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है) सफलतापूर्वक किया हो।

- II. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल में सम्यक रूप से पंजीकृत हो।

05. **अधिमानी अर्हताएं**— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

06. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल, देहरादून में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

07. **आयु** :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में विनिर्दिष्ट की गई हो।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 191/xxx(2)/2021-30(10)2019, दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमवाली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

08. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मियों, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

09. अनापत्ति प्रमाण पत्र— जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. आरक्षण:-

- a. ऊर्ध्व आरक्षण— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण के लिये, आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
- b. क्षैतिज आरक्षण— उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों एवं उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, जिनके माता-पिता की कोई जानकारी न हो, के अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।
- c. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
- d. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' हेतु शासनादेश संख्या 51/XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनांक 09 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पद पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे पद को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा।

- e. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। **“अनाथ बच्चों”** से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता-पिता एवं माता-पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं हैं

शासन के पत्र संख्या 11/XXX(2)/2022-30(2) दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ, जिस श्रेणी का होगा, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पद को अग्रेनित नहीं किया जायेगा बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

- f. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्या: 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। **सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**
- g. अनुसूचित जाति/जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वही अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करेंगे, जिनका उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- h. **“पूर्व सैनिक”** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो— **(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐंसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐंसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐंसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐंसी सेवा के अधिष्ठान में कार्मिकों की कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐंसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13. **वैवाहिक प्राप्ति:-** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित रही हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

14. **शारीरिक स्वस्थता:-**

01. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया है।

02. सेवा में अन्य पदों के मानकों में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड— दो, भाग— तीन के अध्याय— तीन में दिये गये मूल नियम— 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के अनुसार चिन्हित पदों तथा धारा-34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा,

15. **चयन प्रक्रिया:-** बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता-क्रम में, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची अभ्यर्थियों के बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स के उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उपर रखा जायेगा।

16. **ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश:-**

- a. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर जाएं।
- b. वेबसाइट पर Apply Now पर क्लिक करें।
- c. ऑनलाइन आवेदन हेतु **स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा- 2022** के सम्मुख **"Click Here"** पर जाएं एवं **Continue** करें।
- d. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर जायें। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 15 मार्च, 2022 से **www.ukmssb.org** पर उपलब्ध रहेगा।
- e. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करने की अन्तिम 13 अप्रैल, 2022 (सांय 05.00 बजे) है।
- f. अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।
- g. जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- h. ऑफलाईन/हार्डकॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- i. अधूरे/अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- j. वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र का विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

- f. ऑनलाईन मूल आवेदन-पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- g. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति-सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- h. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
- i. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा अभिलेख सत्यापन में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- j. बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अपलोड किये हैं। बोर्ड के साथ पत्राचार अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मान्य नहीं होगा।
- k. शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- l. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
- m. बोर्ड कार्यालय में आचरण:- कोई भी अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा अभिलेख सत्यापन संचालन हेतु बोर्ड द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचार के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
- n. अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण करना चाहिए। अभिलेख सत्यापन सीला में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभिलेख सत्यापन के उपरान्त चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।
- o. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि बोर्ड को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- p. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा-

- i. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषाण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या
- ii. अभिलेख सत्यापन में दुर्यवहार करना, अभिलेख सत्यापन स्थल से भाग जाना, अभिलेख सत्यापन हेतु आये आवेदकों को अभिलेख सत्यापन का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, या
- iii. अभिलेख सत्यापन संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या
- iv. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे:-
 - a. बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा
 - b. उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:-
 - (1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है,
 - (2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है,
 - c. यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि:-
 - (1) अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और,
 - (2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।
21. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि अधिमानी अर्हता नहीं है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।
22. अभिलेख सत्यापन माह मई, 2022 में आयोजित किये जाने प्रस्तावित है।
23. अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम, समय तथा अभिलेख सत्यापन केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश-पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

ह0/-

(गरिमा रौकली)

सचिव,

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) सेवा संवर्ग के अध्यायित पदों से सम्बन्धित जनपदवार उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी तालिक

क्र०सं०	जनपद का नाम	पदनाम व कुल रिक्त पद	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				सामान्य/अनारक्षित				
		स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	स्व० सं० से० के आश्रित 02%	पूर्व सैनिक 05%	अन्य	कुल योग	स्व० सं० से० के आश्रित 02%	पूर्व सैनिक 05%	अन्य	कुल योग	स्व० सं० से० के आश्रित 02%	पूर्व सैनिक 05%	अन्य	कुल योग	स्व० सं० से० के आश्रित 02%	पूर्व सैनिक 05%	अन्य	कुल योग	स्व० सं० से० के आश्रित 02%	पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 %	अन्य	कुल योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
1.	अल्मोड़ा	कुल रिक्त पद— 78	0	0	15	15	0	0	03	03	0	0	0	0	0	0	06	06	01	02	02	49	54
2.	बागेश्वर	कुल रिक्त पद— 16	0	0	05	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	0	0	0	10	10
3.	चमोली	कुल रिक्त पद— 34	0	0	09	09	0	0	02	02	0	0	03	03	0	0	02	02	0	0	0	18	18
4.	चम्पावत	कुल रिक्त पद— 35	0	0	08	08	0	0	0	0	0	0	04	04	0	0	02	02	0	01	0	20	21
5.	देहरादून	कुल रिक्त पद— 61	0	0	06	06	0	0	0	0	0	0	04	04	0	0	05	05	0	02	02	42	46
6.	हरिद्वार	कुल रिक्त पद— 82	0	0	05	05	0	0	05	05	0	0	0	0	0	0	07	07	01	03	03	58	65
7.	नैनीताल	कुल रिक्त पद— 67	0	0	06	06	0	0	05	05	0	0	22	22	0	0	03	03	0	01	01	29	31
8.	पौड़ी गढ़वाल	कुल रिक्त पद— 148	0	01	34	35	0	0	12	12	0	0	11	11	0	0	09	09	01	04	04	72	81
9.	पिथौरागढ़	कुल रिक्त पद— 90	0	0	10	10	0	0	05	05	0	0	12	12	0	0	06	06	01	02	02	52	57
10.	रुद्रप्रयाग	कुल रिक्त पद— 27	0	0	06	06	0	0	03	03	0	0	02	02	0	0	01	01	0	0	0	15	15
11.	टिहरी गढ़वाल	कुल रिक्त पद— 94	0	0	11	11	0	0	09	09	0	0	0	0	0	0	07	07	01	03	03	60	67
12.	उधमसिंह नगर	कुल रिक्त पद— 70	0	0	17	17	0	0	03	03	0	0	14	14	0	0	03	03	0	01	01	31	33
13.	उत्तरकाशी	कुल रिक्त पद— 39	0	0	0	0	0	0	01	01	0	0	0	0	0	0	03	03	0	01	01	33	35
कुल पद		841	0	01	132	133	0	0	48	48	0	0	72	72	0	0	55	55	05	20	19	489	533
अधिसंख्य घटाते हुए		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध रिक्तियां		824	0	01	132	133	0	0	48	48	0	0	55	55	0	0	55	55	05	20	19	489	533